श्रीधर सी०, *भा०प्र०से०,* जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण की अध्यक्षता में दिनांक 13.09..2013 को विधि व्यवस्था/अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं भूमि विवाद निराकरण अधिनियम से संबंधित आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

1.0 उपस्थिति :– अलग से संधारित :–

2.0 अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :–

बैठक में उपस्थित निम्नलिखित पदाधिकारियों को माह अक्टूबर–2013 का अग्रिम भ्रमण दैनन्दिनी समर्पित करने का निदेश दिया गया।

क्र०	पदनाम
1.	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी
2.	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना
3.	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
4.	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
5.	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
6.	अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल
7.	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर, मोतिहारी
8.	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिकरहना
9.	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अरेराज
10.	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रक्सौल
11.	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चकिया
12.	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पकड़ीदयाल
13	सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में कार्यालय निरीक्षण एवं योजनाओं का निरीक्षण/जांच भी शामिल करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अग्रिम कार्यक्रम में थाना का निरीक्षण एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भू–विवादों के निष्पादन हेतु कैम्प कोर्ट को निश्चित रूप में शामिल करेंगे तथा अग्रिम भ्रमण दैनन्दिनी अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनार्थ निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

3.0 प्राथमिकता :–

1. मतदाता सूची का पुनरीक्षण।
2. कन्या विवाह योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन।
3. कबीर अन्त्येष्टि योजना के सामान्य घटक एवं विशेष घटक में प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन।
4. परिवारिक लाभ योजना का निष्पादन।
5. डीजल अनुदान का वितरण।
6. भूमि विवाद का निराकरण।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निम्नलिखित निर्देश दिया गया :–

1. मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाए।
2. क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का वितरण मार्च–2013 तक किया गया है। अतः इसका वितरण दिनांक–23.9.2013 के पहले करने का निदेश दिया गया।

3. कन्या विवाह योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि पारिवारिक लाभ योजना का द्वितीय किस्त सभी प्रखंडों को भेज दिया गया है। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
4. कबीर अन्त्येष्टि योजना के सामान्य घटक एवं विशेष घटक में खाता खोलवाने का निदेश सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।
5. डीजल अनुदान के संबंध में सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी से जमीन का भौतिक सत्यापन कराकर तथा पर्यवेक्षकों के माध्यम से संबंधित पेट्रॉल पम्प के रजिस्टर से डीजल के रसीद का मिलान कराने के पश्चात ही राशि की निकासी कर वितरण की कार्रवाई की जाए।
6. बैठक में बताया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान भूमि विवाद के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अनुमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	भूमि विवाद स्थल
1.	सदर, मोतिहारी	मोतिहारी	बसवरिया, राम सिंह छतौनी
		बंजरिया	अजगरवा, सिंधिया हिवन
		तुरकौलिया	मथुरापुर,
		कोटवा	कररिया, बड़हरवा कला, गोपी छपरा पूर्वी
		सुगौली	चैनपुर, सुगौली
2.	अरेराज	पहाड़पुर	लगुनिया
		संग्रामपुर	दरियापुर
3.	चकिया	चकिया	हरदियाबाद
4.	सिकरहना	चिरैया	बारा जयराम, कठमलिया
		धोड़सहन	धोबिनिया पोखरा
		बनकटवा	सेमरी मठ
		ढाका	ढाका, जमुआ

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी, अरेराज, चकिया एवं सिकरहना को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्र से संबंधित भूमि विवादों का निष्पादन यथाशीध्र करना सुनिश्चित करें।

4.0 अनुमंडल न्यायालय :–

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके न्यायलय में धारा–107, 110, 144, 145, 147, 133, Land celling, Rent Control, Minimum Wages के अन्तर्गत प्राप्त वादों का निष्पादन शीध्र करना सुनिश्चित करेगें।

भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत लंबित/निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता को जिला कार्यालय में अलग से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5.0 जुलूस हेतु लाईसेंस :–

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आगामी पर्व–त्योहार के अवसर पर पूजा पंडाल एवं जुलूस हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त होगें अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुज्ञप्ति में मूर्ति विसर्जन के मार्ग का जिक अवश्य हो तथा लाईसेन्स निर्गत करने के पूर्व मूर्ति विसर्जन के मार्ग का सत्यापन अवश्य कर लिया जाए। साथ ही, थानावार जुलूस मार्ग का नजरी नक्शा एवं कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर इसकी प्रति थाना में रखने का निर्देश सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।

6.0 आपूर्ति अनुश्रवण समिति की बैठक :–

बैठक में बताया गया कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को पंचायत स्तर पर, 10 तारीख को प्रखंड स्तर पर एवं 12 तारीख को अनुमंडल स्तर पर क्रमशः पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति, प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करने का निदेश खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त है। उक्त के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समितियों की बैठक सुनिश्चित कराते हुए अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन कर बैठक में लिए गए निर्णय से संबंधित कार्यवाही को जिला आपूर्ति शाखा में उपलब्ध करायेंगे। समाचार पत्रों एवं विभिन्न माध्यमों से जनवितरण प्रणाली की दुकानदारों के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है। अनुमंडल पदाधिकारी उक्त शिकायत की जांच कर कार्रवाई करेंगे।

7.0 निरीक्षण :–

जिस कार्यालय का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्धारित है। उस कार्यालय का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण से पूर्व संबंधित कार्यालय के प्रधान, संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त तथा संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा तथा अंचल कार्यालय का निरीक्षण संबंधित अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

प्रत्येक भूमि सुधार उप समाहर्ता 5 हल्का का, प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी 2 हल्का का, अपर समाहर्ता 1 हल्का का एवं संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारी 1 हल्का का निरीक्षण कर माह सितम्बर, 2013 के अंत तक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत निर्गत एवं लाभार्थियों के बीच वितरित राशि एवं निर्गत जन्म प्रमाण पत्र का मिलान तथा अस्पतालों में ए.आर.वी. दवा की उपलब्धता की समीक्षा निरीक्षण के क्रम में करेंगे।

8.0 राशि को जमा कराना :–

1. अंचल कार्यालय के रोकड़ पंजी में संधारित राजस्व वसूली से संबंधित राशि को कोषागार के संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना।
2. अंचल कार्यालय में जमा की गयी अमानत शुल्क को संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना।
3. अनुमंडल कार्यालय में परीक्षा के कदाचार में शामिल परीक्षार्थियों से वसूल की गयी शुल्क को संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना।
4. पंचायत निर्वाचन, नगर निकाय निर्वाचन में नामांकन शुल्क से प्राप्त राशि को संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना।
5. टी.डी.एस./वैट/रॉयल्टी मद में प्रखण्ड कार्यालय द्वारा की गयी कटौती से संबंधित राशि को जमा शीर्ष में जमा कराना।
6. सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त शुल्क को संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना।
7. जप्त की गयी राशि/सामग्री की बिक्री से प्राप्त राशि को संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना।

उपरोक्त सभी प्रकार की राशि को अविलम्ब जमा कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

9.0 बिहार लोक सेवा के अधिकार :–

बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को दिया गया।

1. आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर प्रत्येक दिन निष्पादित सेवाओं की विवरणी निश्चित रूप से प्रदर्शित की जाए।
2. निर्गत प्रमाण पत्रों को बाईंडिंग कराकर पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर कार्यालय में संधारित किया जायेगा।
3. प्रत्येक माह में अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे कि बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विलम्ब से निष्पादन करने अथवा निष्पादन नहीं करने के कारण किन–किन पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है।
4. दाखिल--खारिज आवेदनों के संबंध में आर0टी0पी0एस0 काउंटर द्वारा निर्गत शुद्धिपत्र की एक प्रति को हल्कावार संधारित किया जाना है। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।
5 काउंटर पर संधारित वेबकैम से पेंशन के लाभार्थी का फोटो खींचा जाना है। इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, निरीक्षण कर प्रतिवेदन सभी अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।
6 प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये पी0पी0ओ0 के वितरण की स्थिति, किस पंचायत सचिव के पास कितना तामिला हेतु लंबित है की जांच कर प्रतिवेदन सभी अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।

10.0 <u>पेंशन वितरण</u> :–

1. भ्रमण के कम में पाया गया है कि पेंशन भुगतान हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा संबंधित पंचायत सचिवों को राशि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त राशि का समायोजन नहीं किये जाने के कारण अग्रिम के रुप में दिखाया जा रहा है। अतः सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी उपरोक्त राशि का समायोजन सुनिश्चित करायेंगे।
2. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे पी0पी0ओ0 निर्गत की समीक्षा, निर्गत पी0पी0ओ0 के आलोक में निर्गत पासबुक एवं निर्गत पासबुक के आलोक में भुगतान की स्थिति की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
3. पेंशन से संबंधित लंबित आवेदनों का निष्पादन करने की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। समय सीमा बीत जाने के बावजूद लम्बित आवेदनों के निष्पादन का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। साथ ही, वैसे लाभार्थी जो पेंशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुए उसकी सूची तैयार कर उसका भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।
4. अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति के बाद निर्गत पी0पी0ओ0 की दो प्रति संबंधित प्रखंड को उपलब्ध कराया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा एक प्रति कार्यालय में संधारित किया जायेगा एवं एक प्रति संबंधित लाभार्थी को हस्तगत कराकर तामिला प्रतिवेदन संबंधित अभिलेख में संधारण सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात लाभार्थी को पासबुक निर्गत करेंगे। पासबुक पर संबंधित पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अभियान चलाकर पी0पी0ओ0 एवं पासबुक का वितरण, स्वीकृति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे। वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में अनुश्रवण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंडवार समीक्षा कर साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड के सभी पंचायत सेवक के साथ समीक्षा करें कि किस पंचायत सचिव के पास पेंशन हेतु कितना आवेदन लंबित है? लंबित आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करते हुए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर उपरोक्त मामलों की समीक्षा कर निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

उपरोक्त कार्यो का अनुश्रवण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी सुनिश्चित करते हुए पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

11.0 **इंदिरा आवास शिविर की तैयारी :–**

चयनित लाभार्थियों का खाता खुलवा कर राशि एडवाइस के माध्यम से खाता में उपलब्ध कराते हुए राशि अंकित कर पासबुक प्रखंड कार्यालय में प्राप्त करें। यह भी सुनिश्चित करें कि पास बुक फोटोयुक्त हो ताकि राशि निकासी के समय बैंक द्वारा लाभार्थियों को अनावश्यक परेशान न किया जा सके।

प्रत्येक सप्ताह शिविर के माध्यम से इंदिरा आवास योजना अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि लाभार्थियों को उपलब्ध करायें।

सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रखंड भ्रमण के समय ऑन लाईन की गयी इंट्री का अवलोकन कर आवश्यक सुधार का निदेश दें।

बाढ़/कटाव एवं अग्निकांड से प्रभावित वैसे लोग जिन्हें पूर्व में इंदिरा आवास नहीं दिया गया है एवं वे इंदिरा आवास लेने हेतु अर्हता रखते हैं वैसे लोगों के लिए आवास की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12.0 **नीलाम पत्र :–**

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे 20 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर वारंट निर्गत करें एवं वारंट को तामिला हेतु अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजें। इस माह के अंत तक 20 बड़े बकायेदार के मामले का निष्पादन किया जायेगा।

2. जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि थाना के द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित निलाम पत्र वाद के वारंट तामिला हेतु जो चौकीदार/दफादार जाता है वे यह भी देख कर प्रतिवेदन देंगे कि वादी के घर का वर्तमान में विद्युत कनेक्शन है अथवा नहीं। साथ ही मामले में तेजी लाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
3. वर्ष 1997–2007 के बीच बैंक द्वारा वितरित छोटा कृषि ऋण सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया है परंतु ऐसे भी मामले वर्तमान में चल रहे हैं जिसे रिकनसिलिएशन कराने की आवश्यकता है। यदि बैंक द्वारा रिकनसिलिएशन नहीं किया जाता है तो ऐसे वाद को नीलाम पत्र पदाधिकारी खारिज कर दें।

13.0 **विधि–व्यवस्था :–**

1. छोटी–मोटी मांगों को लेकर अनेक जगहों पर धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। अतः सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि जिला अंतर्गत किसी भी प्रखंड में विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो स्थानीय पदाधिकारियों पर जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी।
2. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करते वक्त घुसपैठियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसे कुख्यात जिसके कृत्य से शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है उनपर अपराध नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायें।
3. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सभी थाना में इस माह शांति समिति की बैठक आयोजित कर बैठक की कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
4. गंभीर भूमि विवाद/साम्प्रदायिक विवाद की सूची तैयार कर संबंधित लोगों के साथ बैठक का आयोजन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे ताकि अधोहस्ताक्षरी भी बैठक में उपस्थित हो सकें।
5. **आए दिन राज्य/जिला अंतर्गत विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अधिष्ठापित चापाकलों में जहरीला पदार्थ डालने की घटना घटित हो रही है**, जिससे स्पष्ट है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मासूम बच्चों के जीवन से खेलने

की निरन्तर कोशिश की जा रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि सभी अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत के विद्यालय/सार्वजनिक स्थलों पर अधिष्ठापित चापाकलों पर लगातार निगरानी रखने हेतु चौकीदार/दफादार की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कर उनसे प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष स्वयं भ्रमण कर विद्यालय/सार्वजनिक जगहों पर अधिष्ठापित चापाकलों की जांच करेंगे एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

14.0 <u>जुलूस अनुज्ञप्ति का नवीकरण</u> :–

यदि कोई समुदाय बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जुलूस निकालता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी पुराने अनुज्ञप्ति के नवीकरण एवं नए अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विभाग से दिशानिर्देश प्राप्त है उक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

15.0 विद्युत सामग्रियों की चोरी से संबंधित विवरणी :–

1. जिस गांव में बिल दिया गया है परंतु विद्युत आपूर्ति नहीं किया गया है ऐसे गांवों की सूची अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष स्तर पर तैयार कराकर उपलबध कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र के 10 बड़े बकायेदार के मामले जिसमें विद्युत, उत्पाद एवं बिक्री कर विभाग शामिल हो का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

16.0 थाना भवन निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता :–

1. क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि इस जिले के अन्तर्गत कई ऐसे थाना/ओ0पी0 हैं, जिनको भूमि/भवन/मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। अतः निम्नलिखित प्रपत्र में प्रतिवेदन की माँग एक सप्ताह के भीतर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण से की जाती है :

थाना/ओ0पी0 का नाम	अधिसूचित है या नहीं	भूमि उपलब्ध है या नहीं	अपना भवन की सुविधा उपलब्ध है या नही	उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ				
				चापाकल	शौचालय	सोलर लाईट	बैरक	चहरदिवारी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

अतिरिक्त आवश्यकता						
चपाकल	शौचालय	सोलर लाईट	बैरक	चहरदिवारी	प्रतीक्षालय	अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरी (Km)
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

17.0 <u>बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम</u> :–

1. **इस अधिनियम के अंतर्गत दाखिल वादों एवं निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निदेश अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण को दिया गया।**
2. अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस बल की आवश्यकता का वादवार आंकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दिया गया।

ω

3. भूमि सुधार उपसमाहर्ता प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर समीक्षा कर के प्रतिवेदन अपर समाहर्ता को उपलब्ध करायेंगे। अपर समाहर्ता स्वयं समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा आदेश पारित किया जा रहा है परंतु आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध पारित आदेश एवं अनुपालन की समीक्षा हेतु निम्नांकित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गयी :–

अंचल का नाम .... थाना का नाम ....

क्र	वाद संख्या	हल्का संख्या	मौजा का नाम	वादी का नाम	प्रतिवादी का नाम	खाता	खेसरा	रकबा	DCLR द्वारा आदेश पारित करने की तिथि	दण्डाधिकारी /पुलिस हेतु अधियाचना भेजने की तिथि	अनुपालन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. सभी अनुमंडल पदाधिकारी चेक लिस्ट तैयार करके पुलिस बल प्रतिनियुक्ति कर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्रवाई करने हेतु समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

18.0 विवादित स्थानों से संबंधित विवरणी :–

जिला अंतर्गत विवादित स्थानों की सूची निम्नवत् है :–

अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	विवादित स्थल का नाम
मोतिहारी, सदर	बंजरिया	सिसवा पूर्वी
	सुगौली	उत्तरी मनसिंघा
अरेराज	पहाड़पुर	इब्राहिमपुर
चकिया	कल्याणपुर	सिसवा सोव
सिकरहना	चिरैया	खोड़ा
	ढाका	फूलवरिया
पकड़ीदयाल	पताही	मोहम्मदपुर
रक्सौल	आदापुर	लतियाही

उपरोक्त विवादित स्थलों पर शान्ति समिति की बैठक आयोजित कर दोनों पक्षों से वार्ता कर समाधान करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि दोनों पक्षों से दस–दस लोगों की टीम गठित कर जिम्मेवारी सौंपे। साथ ही, आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1835 /गो0, दिनांक 4-10-13

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मोतिहारी/सिकरहना/पकड़ीदयाल, अरेराज/चकिया एवं रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी/सिकरहना/पकड़ीदयाल, अरेराज/चकिया एवं रक्सौल/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर मोतिहारी/सिकरहना/पकड़ीदयाल, अरेराज/चकिया एवं रक्सौल/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास/जिला नीलाम पत्र शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/आई0टी0 मैनेजर, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/13

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1835 /गो0, दिनांक 4-10-13

प्रतिलिपि :– पुलिस उपमहानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार की सेवा में सादर सूचनार्थ।

3/10/13

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।